न्यायालय–मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जिला धमतरी(छ.ग.)

/ /संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश/ /

क्र. –––/सी.जे.एम./2024 धमतरी, दिनांक 24.04.2024

वर्तमान में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालय स्थापना धमतरी, जिला धमतरी में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित तहसील कुरूद एवं तहसील नगरी में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने से पूर्व में जारी दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्र. 05/सी.जे.एम./2024 धमतरी, दिनांक 05.01.2024 मे वृहद स्तर पर शोधन किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होने से, नवपदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य मजिस्ट्रेटगण के संदर्भ में उक्त सम्पूर्ण कार्य विभाजन आदेश में आवश्यकतानुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन **दिनांक 25 अप्रैल 2024** से प्रभावशील होगा–

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.–धमतरी, 2.–अकलाडोंगरी 3.–यातायात शाखा धमतरी	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं जिला धमतरी के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।

			3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र धमतरी, अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. राजस्व जिला धमतरी से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम 1944, कंपनी अधिनियम 1957 धनकर अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, माईनिंग अधिनियम 1952 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना। 6. राजस्व जिला धमतरी के सभी आरक्षी केन्द्रो एवं राजस्व जिला धमतरी के सभी आबकारी वृत्तो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) जिसमें 5 लीटर से अधिक शराब जप्ती से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 7. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा सभी स्तंभ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 8. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरपालिका निगम धमतरी से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

			9. ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नही है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। 10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
2	श्रीमती अर्चना भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.– रूद्री	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र रूद्री के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणो का निराकरण करना।

			5. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रंमाक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रो के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 6. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
3	सुश्री चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.–अर्जुनी	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्रों अजुर्नी, रूद्री, धमतरी, अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।

			5. आरक्षी केन्द्र अर्जुनी के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणो का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रंमाक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रो के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
4	श्रीमती तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.–कुरूद, 2.–भखारा 3.–मगरलोड 4.–चौकी बिरेझर 5.–चौकी करेली बड़ी	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।

			3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र कुरूद, भखारा, मगरलोड, चौकी बिरेझर, चौकी करेली बड़ी के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणो का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रंमाक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रो के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
5	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.—सिहावा, 2.—नगरी, 3.—केरेगांव, 4.—दुगली, 5.—मेचका, 6.—खल्लारी, 7.—बोरई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है।

			2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 4. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र सिहावा, नगरी, केरेगांव, दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणो का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रंमाक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रो के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
6	सुश्री मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	----------	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणो का निराकरण करना।
7	सुश्री कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)	----------	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणो का निराकरण करना।

8	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	----------	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणो का निराकरण करना।
9	सुश्री मनीषा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	----------	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणो का निराकरण करना।

<u>आवश्यक टिप्पणी–</u>

01. माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा, अभियोग पत्र ग्रहण किये जाने बाबत तथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्यूटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो, जप्तशुदा संपत्ति, चिकित्सकीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशों का पालन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेंगे।

02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण खात्मा प्रकरणों में निराकरण किये जाने के पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संबंधित प्रकरण के प्रार्थी/आहत/प्रभावित पक्ष को सुना जाना सुनिश्चित करेंगे।

03. तालिका स्तंभ क्र. 01 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य संपादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के स्तंभ क्र. 02 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 03 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 04 और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 05 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

04. टीप क्र. 02 के अनुसार नीचे दिये जा रहे तालिका अनुसार अगर उपरोक्त किसी कारण से तालिका क्र. 01, 02, 03, 04 एवं 05 के वर्णित मजिस्ट्रेट के एक साथ अनुपस्थित रहने की स्थिति में सिविल जिला धमतरी में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा अत्यावश्यक कार्य किया जावेगा।

05. धारा 195 दं.प्र.सं. के तहत लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तंभ क्र. 01 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका क्र. 02 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जायेगें।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेगें।

07. अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर, अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 13 जुआ एक्ट, धारा 36च आबकारी अधिनियम के तहत ऐसा प्रकरण जिनके आरोपीगण स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।

08. धमतरी जिला में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से वेष्ठित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी की पूर्व अनुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचित करते हुये जो दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

09. नीचे लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ क्र. 01 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि दं.प्र.सं. धारा–468(2) के उपबंधो की अवहेलना न हो।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृति के कथन कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची ''ब'' के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

12. जिला धमतरी के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के ऐसे समस्त अन्य कार्य जिनका विवरण उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं है, वे अग्र कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे।

13. पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश अथवा अचानक घोषित अवकाश दिवस के संबंध में मजिस्ट्रेटगण के रिमांड ड्यूटी संपादन हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार आदेश समय–समय पर पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

14. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने रिमाण्ड ड्यूटी करने किसी आवश्यक अपरिहार्य कारणो से असमर्थ होंगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मार्फत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी को सूचना देकर रिमाण्ड ड्यूटी क्रमशः आपसी सहमति से बदल सकेंगे।

15. कार्य विभाजन आदेश एवं अनुसूची ''अ'' तथा अनुसूची ''ब'' के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में अन्य आगामी आदेश पर्यंत, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट तदानुसार ही कार्य संपादित करेंगे।

16. अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट नीचे तालिका अनुसार प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देगें।

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

–//अनुसूची " अ" //–

न्यायिक मजिस्ट्रेटों के **अवकाश पर रहने, दौरे पर रहने पर** उनके न्यायालय से संबंधित अत्यावश्यक कार्य जैसे दांडिक प्रकरणों के फाइलों में हस्ताक्षर करना, जमानत आवेदन पत्र का निराकरण करना आदि कार्य संपादन हेतु उनके नाम के आगे दर्शित कंडिका में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा एवं उनके अवकाश पर रहने अथवा रिक्ति की स्थिति में उनके आगे के कॉलम में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा (क्रमानुसार) संपादित किये जायेंगे–

क्र.	अधिकारीगण का नाम	स्तंभ क्र. 01 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 02 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 03 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 04 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम
	स्तंभ क्र. 01	**स्तंभ क्र. 02**	**स्तंभ क्र. 03**	**स्तंभ क्र. 04**	**स्तंभ क्र. 05**
01	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी कुरूद
02	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी कुरूद
03	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी
04	श्रीमती तनुश्री गवेल, जेएफएफसी कुरूद	सुश्री कुमुदनी गर्ग, जेएमएफसी कुरूद	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी
05	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, जेएमएफसी नगरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती तनुश्री गवेल, जेएफएफसी कुरूद
06	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
07	सुश्री कुमुदनी गर्ग, जेएमएफसी कुरूद	श्रीमती तनुश्री गवेल, जेएफएफसी कुरूद	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी

08	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
09	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएफएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी

टिप्पणीः–

01. उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में अन्य प्रभार लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य आदेश पर्यन्त उपरोक्तानुसार ही कार्य करेंगे।

02. उपरोक्त अनुसूची ''अ'' के अनुसार अत्यावश्यक कार्य बाबत् यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेंगे।

03. अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किये जाने से पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

−//अनुसूची " ब"//−

धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत स्वीकृति/संस्वीकृति व कथन निम्नानुसार लिए जायेगेः−

क्र.	थानों का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश/ रिक्ति की स्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश/ रिक्ति की स्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4	5
01	धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी
02	अर्जुनी	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी
03	रूद्री	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी
04	आरक्षी केन्द्र अकलाडोंगरी, भखारा, कुरूद, मगरलोड एवं उनके अधीनस्थ चौकियों (चौकी बिरेझर एवं करेली बड़ी) से उद्भूत प्रकरण	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी
05	आरक्षी केन्द्र नगरी, सिहावा, दुगली, केरेगांव, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत प्रकरण	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी
06	आरक्षी केन्द्र अकलाडोंगरी, भखारा, कुरूद, मगरलोड एवं उनके अधीनस्थ चौकियों (चौकी बिरेझर एवं करेली बड़ी) से उद्भूत **अपचारी बालकों के प्रकरणों में**	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी

07	आरक्षी केन्द्र नगरी, सिहावा, दुगली, केरेगांव, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत **अपचारी बालकों के प्रकरणों में**	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी
08	आरक्षी केन्द धमतरी, रूद्री, अर्जुनी से उदभूत **अपचारी बालकों के प्रकरणों में**	सुश्री मनीषा ठाकुर, जेएमएफसी धमतरी	सुश्री मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम, जेएमएफसी धमतरी

टिप्पणी—

01. धारा 164 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाले कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

सही/—
(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

<u>माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रकरणों जप्त प्रतिषिद्ध पदार्थ के सैंपलिंग के संबंध में जारी दिशानिर्देश</u>

भारत सरकार के राजपत्र क्र.–802, असाधारण, भाग II- खंड 3–उप–खंड(i) नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 में जारी अधिसूचना में वर्णित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 23/12/2022 से लागू है, के अध्याय ॅ के नियम 8 व 9 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के द्वारा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी (छ.ग.) विविध आदेश क्र.–153/एक–09–02/2006, धमतरी, दिनांक 13.01.2023 जारी कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत घटित होने वाले अपराध में जप्त किये जाने वाले प्रतिषिद्ध पदार्थ की सैंपलिंग का कार्य किये जाने हेतु स्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दिशानिर्देश जारी किया गया है, जो आदेश दिनांक 13.01.2023 से प्रभावशील हैः–

<u>सैंपलिंग का कार्य किये जाने हेतु जारी दिशानिर्देशः–</u>

1. सैंपलिंग व उससे संबंधित आनुषंगिक कार्यवाही नारकोटिक ड्रगस एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के प्रावधानों व उसके साथ संलग्न फॉर्म में वर्णित अनुसार ही की जाये।

2. पुलिस अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जप्त की गई प्रतिषिद्ध पदार्थ की मात्रा यदि अल्प मात्रा (Small quantity) से अधिक है (अर्थात जिन प्रकरणों का निराकरण विशेष न्यायालय धमतरी द्वारा किया जाना है) तो उसके सैंपलिंग की कार्यवाही उस क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष की जायेगी जिसके थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित थाने/पुलिस चौकी के द्वारा प्रतिषिद्ध पदार्थ जप्त किये जाने की कार्यवाही की गई है/अपराध दर्ज किया गया है।

03. यदि जप्त किये गये प्रतिषिद्ध पदार्थ की मात्रा अल्प मात्रा (Small quantity) है तो उसके सैंपलिंग की कार्यवाही निम्नानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष की जायेगीः–

क्र.	पुलिस थाना/चौकी, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पुलिस अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लघु मात्रा में प्रतिषिद्ध पदार्थ जप्त करने की कार्यवाही की गई है	क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	सैंपलिंग की अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
01	धमतरी, रूद्री, अकलाडोंगरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	सुश्री चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी
02	थाना अर्जुनी	सुश्री चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी

03	कुरूद, भखारा, मगरलोड़, चौकी बिरेझर, चौकी बड़ी करेली	श्रीमती तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी
04	सिहावा, नगरी, केरेगांव दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	श्रीमती तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद

नोटः– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रकरणों में जप्त प्रतिषिद्ध पदार्थ के सैंपलिंग के संबंध में जारी दिशानिर्देश का पालन करना क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनिश्चित करेंगे।

<u>प्रतिलिपि :–</u>

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी/श्रृंखला न्यायालय कुरूद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

04. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

05. श्रीमती अर्चना भास्कर– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।

06. सुश्री चेतना ठाकुर– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित ।

07. श्रीमती तनुश्री गवेल– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद को पालनार्थ प्रेषित ।

08. सुश्री दीपा सुचिता तिर्की– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी को पालनार्थ प्रेषित।

09. सुश्री मीनू नंद– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित ।

10. श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित ।

11. सुश्री कुमुदनी गर्ग– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद को पालनार्थ प्रेषित ।

12. सुश्री मनीषा ठाकुर– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित ।

13. कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

14. पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को जिले के संबंधित थानों में प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

16. वनमंडलाधिकारी धमतरी को जिले के समस्त वन कार्यालय में प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।

17. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ धमतरी/कुरूद/नगरी को सूचनार्थ ।

18. जिला अभियोजन अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ।

19. प्रमुख एल.ए.डी.सी.एस. जिला धमतरी को सूचनार्थ।

20. जिला परिवहन अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ ।

21. यातायात शाखा धमतरी को सूचनार्थ ।

22. जिला आबकारी अधिकारी धमतरी को सभी वृत्तों के प्रभारी को प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।

23. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी।

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)